प्रकरण संख्या : 72/2024
नरसीलाल वगै॰ बनाम राज॰ सरकार
निर्णय दिनांक : 23.04.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	72/2024
दायर दिनांक	:	11.12.2024
निर्णय दिनांक	:	23.04.2025

1. नरसीलाल पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. नहनूराम पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. बाबूलाल पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. मूलचन्द पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. मोतीलाल पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
6. रामकिशोर पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
7. लोहडीराम पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
8. हरिनारायण पुत्र छोटूराम, निवासी ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान संरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 148, 149, 199, 200 कुल किता 4 कुल रकबा 2.35 है॰ वाके ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते हैं। प्रार्थीगण अपनी फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.10.2024 को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 148, 149, 199, 200 कुल किता 4 कुल रकबा 2.35 है॰ वाके ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज की मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:38 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज॰)

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार भाण्डारेज के जवाब से प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत

होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 148, 149, 199, 200 कुल किता 4 कुल रकबा 2.35 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बंर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested